भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3161

22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई क्षतिपूर्ति का समय पर भुगतान

3161. श्री आर.के.सिंह पटेल:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसलों के बर्बाद होने/न होने के बाद किसानों को समय पर बीमा दावों का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों सहित बुंदेलखंड में फसलों की क्षति संबंधी बीमा दावे अभी भी लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का इन सभी बकाया दावों के समय पर भुगतान के लिए कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बकाया दावों का पूरा भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.) : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत स्वीकार्य दावों का भुगतान आम तौर पर संबंधित सरकार से समय के भीतर प्रीमियम सब्सिडी के कुल हिस्से की प्राप्ति के अध्यधीन क्रमश: संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोग (सीसीई)/कटाई अवधि के पूरा होने के दो महीने के भीतर और निवार्य बुवाई के जोखिम/खतरों, मध्य मौसम प्रतिकूलता और फसल कटाई के बाद के नुकसानों को लागू करने हेतु अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया जाता है। तथापि, कुछ राज्यों में कुछ दावों के निपटान में देरी उपज डेटा को विलंब से जारी करना; प्रीमियम सब्सिडी में उनके हिस्से का देर से जारी करना, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, पात्र किसानों के बैंक खाते में दावों के हस्तांतरण के लिए कुछ किसानों के खाते का विवरण प्राप्त न होना और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर व्यक्तिगत किसानों के डेटा की त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण प्रविष्टि,

किसानों के प्रीमियम के हिस्से के प्रेषण में देरी/संबंधित बीमा कंपनी को किसानों के प्रीमियम के हिस्से का भुगतान न करना आदि जैसे कारणों से हुई ।

यह विभाग हितधारकों के साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंसिंग, बीमा कंपनियों/राज्यों के साथ आमने-सामने की बैठकों आदि के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। बीमा कंपनियों को राज्य सरकार से अंतिम उपज डेटा प्राप्त होने और फसल क्षति सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए किसानों को प्रति वर्ष @12% दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होंगा। राज्य सरकारों को स्वीकार्य ब्याज की गणना करने और संबंधित बीमा कंपनियों को पात्र किसानों को भुगतान करने का निर्देश देने की सलाह दी गई है।

हितधारकों के बीच अपेक्षित सूचना/डेटा के प्रवाह के लिए समयबद्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न नवीन तकनीकों को भी अपनाया जाता है। इसके अलावा, यह विभाग राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा भी कर रहा है ताकि दावों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और योजना के तहत पात्र किसानों को समय पर और पर्याप्त लाभ प्रदान किया जा सके।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी स्वीकार्य दावों का भुगतान उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों सहित बुदेलखंड क्षेत्र में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए किया गया है और कोई भी स्वीकार्य दावा लंबित नहीं है भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

पीएमएफबीवाई के तहत रिपोर्ट किए गए दावे और भुगतान (रुपये लाख में)			
जिला	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**
बाँदा	180.13	152.32	343.17
चित्रकूट	205.81	477.94	28.76
बुंदेलखंड	**24089.73**	**66998.18**	**21007.30**

*****